मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/बी-15-13/2019/14-2 भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2021

//आदेश//

राज्य शासन द्वारा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी-2019 के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.11.2020 के द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नोडल एजेन्सी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

राज्य शासन एतद द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के लिए नामांकित नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से भारत सरकार की Agriculture Export Policy के क्रियान्वयन हेतु- (i) कार्यकारी समिति, (Executive Committee - EC) (ii) निगरानी समिति, (Monitoring Committee - MC) एवं (iii) क्लस्टर सुविधा समिति, (Cluster Facilitation Committee - CFC) इस प्रकार तीन अतिरिक्त समितियों के गठन की आवश्यकता हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर, समन्वय से प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में निम्नानुसार तीनों समितियों का गठन किया जाता है।

उक्त तीनों समितियों का संगठन एवं कार्य निम्नानुसार होंगे:-

(I) कार्यकारी समिति (EC) :-

क्र.	अधिकारी का पदनाम	समिति का पद
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	अध्यक्ष
2	आयुक्त, सहकारिता	सदस्य
3	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	सदस्य
4	आयुक्त, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य

5	संचालक, पशुपालन	सदस्य
6	संचालक, मत्स्यपालन	सदस्य
7	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ	सदस्य
8	प्रबंध संचालक, मत्स्यपालन	सदस्य
9	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित	सदस्य
10	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	सदस्य
11	नोडल अधिकारी, एपीडा	सदस्य
12	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य सचिव

यह समिति वास्तविक रूप से उक्त पालिसी का क्रियान्वयन करेगी। यह पालिसी के क्रियान्वयन के संबंध में, राज्य शासन तथा भारत सरकार के संबंधित विभागों एवं अन्य संबंधित निकायों से सतत समन्वय करते हुए तथा निगरानी समिति (MC) व क्लस्टर सुविधा समिति (CFC) को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर, उक्त पालिसी को लागू किये जाने की कार्यवाही करेगी और प्रगति से राज्य स्तरीय समिति (SLC) को अवगत कराएगी।

(II) निगरानी समिति (M C) :-

क्र.	अधिकारी का पदनाम	समिति का पद
1	संभाग आयुक्त	अध्यक्ष
2	संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, संभागीय कार्यालय	सदस्य सचिव
3	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभागीय कार्यालय	सदस्य

4	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संभागीय कार्यालय	सदस्य
5	संयुक्त संचालक, पशुपालन, संभागीय कार्यालय	सदस्य
6	क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वेयरहाऊसिंग एवं लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन, संभागीय कार्यालय	सदस्य
7	संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय	सदस्य
8	सहायक महाप्रबंधक/प्रतिनिधि, एपीडा	सदस्य
9	वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालय	सदस्य

यह समिति संभाग स्तर पर संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। यह समिति अपने अधीनस्थ जिलों में उक्त पालिसी के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करते हुए प्रगति से कार्यकारी समिति (EC) को अवगत कराएगी।

(III) क्लस्टर सुविधा समिति (CFC) :-

क्र.	अधिकारी का पद नाम	समिति का पद
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	समन्वयक
3	उप संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य सचिव
4	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	सदस्य
5	सहायक महाप्रबंधक/प्रतिनिधि, एपीडा	सदस्य
6	उपायुक्त सहकारिता सह उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं	सदस्य
7	प्रोजेक्ट डायरेक्टर (उप संचालक, कृषि), आत्मा	सदस्य
8	वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विकास केन्द्र	सदस्य
9	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य
10	जिला प्रबंधक, एन.आर.एल.एम.	सदस्य
11	सचिव, जिला मुख्यालय की मण्डी समिति,	सदस्य
12	प्रबंधक, स्थानीय एफ.पी.ओ.	सदस्य

यह समिति ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। यह समिति, उक्त पालिसी के ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन को मूर्त रूप प्रदान करेगी। इस समिति के द्वारा प्रमुख रूप से निम्नानुसार कार्यों को किया जावेगा : -

- निर्यात योग्य कृषि उत्पाद अनुसार, क्लस्टर विकास हेतु ग्राम, विकासखंड, उत्पादन क्षेत्र का चयन,
- कृषकों/FPO/FPC का पंजीयन,
- कृषकों/FPO/FPC को एपीडा से जोड़ना,
- क्लस्टर में आवश्यक अधोसंरचना का विकास,
- कृषकों/FPO/FPC एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए निर्यात संबंधी आवश्यक प्रक्षिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन,
- निर्यातकों को आकर्षित करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना,
- क्लस्टर में पैकहाउस, प्रोसेसिंग प्लांट्स आदि की स्थापना की सुविधाएं उपलब्ध कराना,
- कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देना ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से क्रेता आकर्षित हों तथा उत्पादों की मांग बढ़े,
- पालिसी के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही।

उपरोक्तानुसार तीनों समितियों का संगठन एवं कार्यों अनुसार संपादन की कार्यवाही संबंधित समितियों द्वारा सुनिश्चित की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजीत केसरी)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/बी-15-13/2019/14-2 /581 भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/समन्वयक/सदस्य/सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. उप सचिव, म0प्र0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
9. उपनिदेशक, डी.जी.एफ.टी., क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
10. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन/मत्स्यपालन, भोपाल।
11. आयुक्त सहकारिता/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
12. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित/म0प्र0 एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन, भोपाल।
13. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
14. संभाग आयुक्त -------- समस्त (म0प्र0)।
15. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/पशुपालन/संभागीय कार्यालय ------समस्त (म0प्र0)।
16. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय ------------ समस्त (म0प्र0)।
17. क्षेत्रीय प्रबंधक, म0प्र0 राज्य वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, संभागीय कार्यालय ------------ समस्त (म0प्र0)।
18. सहायक महाप्रबंधक/प्रतिनिधि, एपीडा ------ संभागीय/क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त (म0प्र0)।

19. वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालय,- ----- संभागीय/क्षेत्रीय कार्यालय समस्त (म0प्र0)।
20. जिला- कलेक्टर्स, ------------------ समस्त (म0प्र0)।
21. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ------------ समस्त (म0प्र0)।
22. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/ उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी जिला ----------------- समस्त (म0प्र0)।
23. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (उप संचालक, कृषि), आत्मा, जिला ----------- समस्त (म0प्र0)।
24. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला ------ समस्त (म0प्र0)।
25. जिला प्रबंधक, एन.आर.एल.एम.जिला ------------- समस्त (म0प्र0)।
26. उपायुक्त सहकारिता सह उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला ----------- समस्त (म0प्र0)।
27. सहायक महाप्रबंधक/प्रतिनिधि, एपीडा जिला --------- समस्त (म0प्र0)।
28. वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विकास केन्द्र, जिला ------------- समस्त (म0प्र0)।
29. प्रबंधक, स्थानीय एफ.पी.ओ. जिला -------- समस्त (म0प्र0)।
30. सचिव, जिला मुख्यालय, कृषि उपज मंडी समिति जिला -------- समस्त (म0प्र0)।
31. आदेश नस्ती ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल